

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 37]

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 16, 2016/पौष 26, 1937

No. 37]

NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 16, 2016/ PAUSA 26, 1937

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि. 78(अ).—केन्द्र सरकार कुलाध्यक्ष के अनुमोदन से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान अधिनियम, 2007 (2007 का 29) की धारा 26 की उप-धारा (3) और (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के प्रथम परिनियम में एतानुसार निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (1) इन परिनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) परिनियम, 2015 का प्रथम परिनियम होगा।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के प्रथम परिनियम की अनुसूची 'क' के पैराग्राफ (2) में "65 वर्ष की आयु" शब्दों और अंको के स्थान पर "70 वर्ष की आयु" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. 40-05/2015-टीएस.VII]

प्रवीण कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल परिनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) दिनांक 19 अगस्त, 2014 में सा.का.नि. सं. 2078 (अ) के तहत प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT**(Department of Higher Education)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st December, 2015

G.S.R. 78(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) and (4) of section 26 of the National Institutes of Technology, Science Education and Research Act, 2007 (29 of 2007), with the approval of the Visitor, the Central Government hereby makes the following amendment in the First Statutes of the Indian Institutes of Science Education and Research, namely:—

1. Short title and Commencement

- (1) These Statutes may be called the First Statutes of the Indian Institutes of Science Education and Research (Amendment) Statutes, 2015.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the First Statutes of the Indian Institutes of Science Education and Research, in Schedule 'A', in paragraph (2), for the words and figures "the age of 65" the words and figures "the age of 70" shall be substituted.

[F. No. 40-05/2015-TS.VII]

PRAVEEN KUMAR, Jt. Secy.

Note : The Principal Statutes were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 19th August, 2014 under G.S.R. 2078(E).